विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	योजना विभाग
तारांकित प्रश्न संख्या	:	4844
उत्तर की तिथि	:	05–03–2022
विषय	:	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)
सम्बन्धित मंत्री	:	मुख्यमन्त्री

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगें कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के बजट का 9% जनजातीय क्षेत्रों के लिए चिन्हित है परन्तु पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस चिन्हित बजट को अलग से चिन्हित करने के क्या कारण हैं ; और	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) गत 3 तीन वर्षों में आई0टी0डी0पी0 किन्नौर का जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत बजट को कितने प्रतिशत चिन्हित किया गया ; वर्षवार ब्यौरा कारणों सहित दें ?	

माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्याः 4844 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
(क) जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के बजट का 9% जनजातीय क्षेत्रों के लिए चिन्हित है परन्तु पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस चिन्हित बजट को अलग से चिन्हित करने के क्या कारण हैं ; और	(क) जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के बजट का 9 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों के लिए चिन्हित न होकर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए चिन्हित है। यह चिन्हाँकन क्षेत्र विशेष के लिए न होकर कार्यक्रम विशेष के लिए है जो कि निम्न से स्पष्ट होता हैः i. 1984 में हुई राज्य योजना बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया थाः ''The State Planning Board has decided that 9% of the total size would be earmarked as State Plan, flow to the Tribal Sub Plan for both the Seventh Plan and the Annual Plan 1985-86. ii. 24 अगस्त, 2020 को प्रदेश मंत्रीमण्डल की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य विकास बजट का 9 प्रतिशत प्रावधान जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए किया जाता है। बजट परिव्ययों का चिन्हाँकन मुख्यतः केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, नाबार्ड के RIDF से पोषित परियोजनाओं, राज्य सरकार की Flagship योजनाओं तथा ऐसी कोई भी योजनायें जिनके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन राज्य के अपने संसाधनों के अतिरिक्त किसी अन्य अभिकरणों से प्राप्त होते हों, के लिए किया जाता है। इस चिन्हाँकन के निम्नलिखित कारण हैः (अ) केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, नाबार्ड के RIDF से पोषित परियोजनाओं इत्यादि के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्र सरकार अथवा Funding Agency से अग्रिम रूप से अथवा Reimbursement basis पर धनराशि प्राप्त होती है। (ब) अग्रिम रूप से प्राप्त होने वाली राशि दो या अधिक किश्तों में प्राप्त होती है। दूसरी तथा बाकि

	किश्तें तभी जारी की जाती है, यदि कार्यकारी विभागों द्वारा जारी किश्तों के विरुद्ध स्वीकृत कार्यों हेतु ही प्राप्त राशि का व्यय किया गया हो तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित किया गया हो। यदि जारी किश्त का उपयोग स्वीकृत कार्यों के लिए न किया गया हो तो केन्द्र सरकार अथवा Funding Agency द्वारा आगामी किश्त जारी नहीं की जाती है। (स) इसी प्रकार यदि Reimbursement basis पर प्राप्त होने वाली राशि जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा अग्रिम रूप से बजटीय प्रावधान किये जाते हैं, भी Funding Agency द्वारा उस अवस्था में Reimburse नहीं की जाती यदि स्वीकृत कार्यों पर यह राशि व्यय न की गई हो। (द) पूर्व में जब उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए बजटीय परिव्ययों का चिन्हाँकन नहीं किया जाता था तो यह पाया गया कि कार्यकारी विभागों द्वारा सरकार अथवा अन्य Agencies द्वारा पोषित किये जाने वाली योजनाओं के परिव्ययों को अन्य मदों में पुर्नविनियोजित करवा लिया जाता था। कुछ मामलों में तो समस्त बजटीय परिव्यय पुर्नविनियोजित करवा लिये गये थे। इसके कारण राज्य सरकार को दोहरा नुकसान हुआ। एक तो केन्द्र सरकार व अन्य Agencies से या तो व्यय के विरुद्ध Reimbursement प्राप्त नहीं हुई या दूसरी किश्त जारी नहीं की गई। दूसरा नुकसान तब हुआ जब इन परिव्ययों में से जिस राशि का पुर्नविनियोजन अन्य मदों में किया गया उतने ही संसाधनों का सरकार को अतिरिक्त प्रबन्धन करना पड़ा तथा जिसके लिए अतिरिक्त ऋण लेना पड़ा। इस प्रकार प्रदेश सरकार को दोहरा वित्तीय बोझ वहन करना पड़ा। (य) उपरोक्त कारणों के चलते राज्य सरकार के Flagship Programmes के कार्यान्वयन के लिए भी परिव्ययों का चिन्हाँकन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह चिन्हाँकन केवल जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ही नहीं किया जाता अपितु अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम तथा सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी किया जाता है जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट हैः

वर्ष	चिन्हांकित राशि (प्रतिशत) (सामान्य विकास कार्यक्रम)	चिन्हांकित राशि (प्रतिशत) (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम)	चिन्हांकित राशि (प्रतिशत) (जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम)
1.	2.	3.	4.
2019–20	78.00	64.71	60.97
2020–21	75.33	70.55	60.98
2021–22	88.63	88.55	80.74

(ख) गत 3 वर्षो में आई0 टी0डी0पी0 किन्नौर का जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत बजट को कितने प्रतिशत चिन्हित किया गया; वर्षवार ब्यौरा कारणों सहित दें ?

(ख) जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0टी0डी0पी0 वार (ITDPs) बजट का आबंटन जनजातीय विकास विभाग द्वारा निर्धारित फॉरमूला के अनुसार किया जाता है। जनजातीय विकास विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आई0टी0डी0पी0 किन्नौर को जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाजित बजट परिव्यय का निम्न प्रकार से चिन्हाँकन किया गया हैः

(रु0 करोड़ों में)

क्रम सं.	वर्ष	जनजातीय उपयोजना जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय	जनजातीय विकास विभाग द्वारा कॉलम 3 में से विभाजित परिव्यय	जनजातीय विकास विभाग द्वारा कॉलम 3 में से अविभाजित परिव्यय	ITDP किन्नौर के लिए विभाजित परिव्यय	आई0टी0डी0पी0 किन्नौर के लिए विभाजित परिव्ययों में से चिन्हाँकित परिव्यय/प्रतिशत्ता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	2019–20	639.00	264.00	375.00	79.20 (30%)	17.48 (22.6%)
2	2020–21	711.00	347.30	363.70	104.19 (30%)	34.69 (33.29%)
3	2021–22	846.49	400.00	446.49	120.00 (30%)	89.39 (74.49%)

चिन्हाँकन के लिए भाग–क में दिये गये कारणों के अतिरिक्त ITDP वार बजट आबंटन मांग के आधार पर Project Advisory Committee की अनुशंसा पर ही किया जाता है जिससे चिन्हाँकित राशि के घटने व बढ़ने की सदैव सम्भावाना रहती है। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि तीन वर्षो के दौरान आई0टी0डी0पी0 किन्नौर के लिए आबंटन में निरन्तर वृद्धि हुई है।

******